"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2005—वैशाख 23, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 7-9/04/1/6.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-10-2004 के कंडिका-2 में प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में 09 जिले सम्मिलित किये गये हैं. प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5-1-2005 में लिए गए निर्णय अनुसार जिला धमतरी को अनुक्रमांक 10 के रूप में सम्मिलित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक ई-7/16/2004/1/2.—डॉ. एच. एल. प्रजापति, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 24-5-2005 से 7-6-2005 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21, 22 एवं 23-5-2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. प्रजापति, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. प्रजापति, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. प्रजापति, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

क्रमांक ई-7/23/2004/1/2.—श्री एस. के. कुजूर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 19-5-2005 से 1-6-2005 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कुजूर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 8-3/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस्पात गोदावरी लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर के बायलर क्रमांक सी.जी./33 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 26-4-2005 से दिनांक 30-6-2005 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 को धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ 8-11/2004/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पूर्व), कोरबा के बायलर क्रमांक एम.पी./3210 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 11-4-2005 से दिनांक 10-7-2005 तक तीन माह की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखो, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्रमांक /980/एफ 9-17/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पाटन, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :—

अनुसूची

पाटन निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दैवमोर, बठेना, सिकोला एवं सुपकान्हा, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम सुपकान्हा, सोनपुर एवं खमरिया, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम खमरिया, अटारी, अखरा एवं पंदर, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में: ग्राम पंदर एवं दैवमोर, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्रमांक /983/एफ 9-18/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चारामा, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :—

अनुसूची

चारामा (जिला-कांकेर) निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कन्डेल, माहुद एवं भेलाई, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम भेलाई, तेलगुड़ा, भिरोद, कर्राजैसा, सिरसिदा, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम कर्राजैसा, सिरसिदा, गिरहोला, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में: ग्राम सिरसिदा, दरगहन, चारामा, गिरहोला, कन्डेल एवं माहुद, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्रमांक /986/एफ 9-6/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चिरमिरी, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :—

अनुसूची

चिरमिरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लाई एवं हर्रा, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम हर्रा, दर्रीटोला, लोहारी, नवापारा, मोरगा, सरगोका, पश्चिम चिरमिरी कालरी, कोरिया-कालरी, उत्तर चिरमिरी कालरी एवं डोमनहिल कालरी, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम डोमनहिल कालरी, दुपछोला एवं भण्डरदेई, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में: ग्राम भण्डरदेई, भुकभुकी, चिरमिरी कालरी, खुरासिया कालरी, एन.सी.पी.एच. कालरी, सरभोका, सीरियाखोह एवं लाई, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2005

क्रमांक /989/575/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए डभरा, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई हैं :—

अनुसूची

डभरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कुसुमझर, कतगन, छुईपाली, कटेकोनीछोटे, हरदीडीह एवं ठाकुरपाली, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कटेकोनीछोटे, ठाकुरपाली, हरदीडीह, चुराघाट, भेंडाकोना एवं सकराली, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम सकराली, उपनी, नवापारा एवं बसंतपुर, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में: ग्राम बसंतपुर, कुसुमझर एवं कतगन, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2005

क्रमांक /स.क.वि./2005/793.—राज्य शासन नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 60 के अंतर्गत श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, ललिता चौक, बढ़ई पारा, रायपुर को अवैतनिक रूप से आयुक्त, नि:शक्तजन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुजूर, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	गतवा प. ह. नं. 26	0.890	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गतवा से केराकछार निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 418/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	डुन्डेरा	0.42	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग क्रमांक-2 (भ./स.), दुर्ग.	उतई, उमरपोंटी, डुन्डेरा सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 421/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	करेली	0.37	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग.	कोकड़ी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 424/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	बसनी	1.31	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग.	कोकड़ी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 427/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	कोकड़ी	2.60	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग.	कोकड़ी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 430/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	कोकड़ी	0.62	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग.	कोकड़ी जलाशय की उलट

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 442/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	सिरनाभाठा	0.58	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग.	टेंगना नाला व्यपवर्तन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 अप्रैल 2005

रा. प्र. क्र. 2 अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	सोनपुर	2.37	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सूरजपुर, सरगुजा.	सोनपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 अप्रैल 2005

रा. प्र. क्र. 3 अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	ब्रजनगर	0.19	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अंबिकापुर (छ. ग.).	लटोरी कल्याणपुर मार्ग पर गलफुल्ली सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 मार्च 2004

क्रमांक 1226/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दंतेवाड़ा	धुरली	10.183	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा.	बासनपुर व्यपवर्तन योजना

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 मार्च 2004

क्रमांक 1227/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दंतेवाड़ा	पोटाली	3.075	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) दक्षिण बस्तर संभाग, दंतेवाड़ा.	अरनपुर से माड़ेंदा पहुंच मार्ग निर्माण.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 मार्च 2004

क्रमांक 1432/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	दंतेवाड़ा	गीदम	1.158	मेजर कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, केम्प कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक-13/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पेण्ड्रा	2.00	उप संचालक, मत्स्योद्योग बिलासपुर.	मत्स्य बीज उत्पादन इकाई

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/1717 /भू-अर्जन/05/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	नवागांव	2.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी.	बेलर गांव जलाशय के अंतर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/1721/भू-अर्जन/15/अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	कसपुर	5.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी.	सीतानदी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत कसपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/06/अ/82 वर्ष 04-05/1725.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	मोहमल्ला	2.64	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी.	मोहमल्ला जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क /भू-अर्जन/03/अ/82 वर्ष 04-05/1730.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	सरईटोला	2.76	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी.	बटनहर्रा जलाशय क्रमांक-2 के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/08/अ/82 वर्ष 04-05/1734.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	भूमका	1.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी.	बेलरगांव जलाशय के अंतर्गत भूमका माइनर नहर निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ/82 वर्ष 04-05/1738.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	गट्टासिल्ली	4.44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी.	बटनहर्रा जलाशय क्रमांक-2 के नहर निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/13/अ/82 वर्ष 04-05/1742.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	नवागांव	3.94	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी.	सीतानदी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नवागांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 4 मार्च 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/14/अ/82 वर्ष 04-05/1746.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	नवागांव	2.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी.	सीतानदी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत कसपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 2686/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	संडी प.ह.नं. 16	53.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पंडरिया जलाशय के अंतर्गत डूबान उलट एवं बांध पार निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 2688/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	मानपुर पहाड़ी प.ह.नं. 5	12.45	कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	कोलारनाला टारबांध के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 2691/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	मानपुर प.ह.नं. 8	2.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	जीराटोला जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर बायीं तट नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक 2692/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	जीराटोला प.ह.नं. 7	39.27	कार्यालय यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	जीराटोला जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर बायीं तट एवं दायीं तट नहर तथा डुबान.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक 1404 क/भू-अर्जन/21/अ/82 वर्ष 04-05/.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसकें द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धमतरी

(ख) तहसील-धमतरी

(ग) नगर/ग्राम-तिर्रा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1	0.18
	7	0.25
	30	0.05
	84	0.15
	80	0.04
	3	0.04
	55	0.13
	53	0.08
योग	8	0.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन विशेष-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक 2 -अ 82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-सोनपुर, प. ह. नं. 64

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1343	.0.06
1348/1	0.05
1759	0.25
1344/2	0.01
1346	0.01
1347	0.01
1349	0.03
1371	0.03
1722	0.03
1756	0.12
1784	0.08
1958	0.05
1725	0.05
1824	0.03
1728	0.02
1731	0.01
1730	0.04
1732	0.02
1817	0.03
1757	0.02
1783	0.02

(1)	(2)
1785	0.04
1820	0.08
1796	0.07
1801	0.16
1797	0.07
1819	0.04
1802	0.24
1816	0.01
1823	0.09
1830	0.15
1908	0.01
1909	0.03
1910	0.04
1912	0.02
1913	0.07
1914	0.03
1915	0.03
1917	0.04
1918	0.03
1824/2539	0.15
योग 41	2.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 जनवरी 2005

क्रमांक 38.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.465 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/3	0.255
1/2	0.008
2/2	0.028
2/1	0.032
2/4	0.146
2/3	0.077
7	0.178
8/1	0.267
9/4	0.045
9/3	0.125
9/1	0.012
10/1	0.069
10/2	0.053
11/1	0.028
11/2	0.036
13	0.008
12	0.008
14	0.089
योग 18	1.465

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

प्र. क्र. 5/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.668 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2, 3/2	0.150
2/1, 3/1	0.150
5, 7, 8	0.160
462/1	0.015
461	0.175
455/4, 457	0.075
455/1	0.045
456, 455/3	0.040
455/2	0.080
453/1	0.040
453/2	0.110
432/1	0.180
419, 420	0.080
716	0.004
736/2	0.015
421, 422/2	0.160
637/1	0.040
740	0.350
641	0.030
665/1	0.004
703/1	0.030
668	0.030
669, 670	0.090
426	0.055
449/2	0.004
423, 424, 630	0.130
662, 663, 686	0.130
687	0.025
688	0.055
701/1	0.200
703/2	0.006
739/2	0.080
734	0.130
735	0.080
606	0.040
747/1	0.080
676/1	0.050
676/2	0.035
676/3	0.030
702	0.004
671	0.016
739/1	0.080
701/3	0.050
703/3	0.004
703/4	0.004
703/5	0.030
683/4	0.030
703/6	0.030
633/6	0.035
633/9	0.045
634, 635	0.040
417, 418	0.105
689	0.012
योग 53	3.668

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2 × 250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ पाईपलाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

प्र. क्र. 6/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-छिरहुट, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.487 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
141/2	0.405
146/2	0.073
147	0.259
148/1	0.077
148/2	0.194
149	0.506
159	0.101
160	0.113
150/2	0.437
152	0.081
158	0.053
153	0.113
137	0.101
24/4	0.049
143/1	0.202
24/5	0.781
145	0.340
142/1	0.130
142/2	0.045
157/1	0.101
24/2	0.081
162	0.186
143/2	0.202
144/2	0.040
138	0.729
139	0.004
140	0.348
146/1	0.040
161/2	0.271
136/1	0.210
136/2	0.210
24/3	0.061
157/2	0.563
156	0.134
150/3	0.040
161/1	0.202
योग 26	7.487

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2 × 250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

प्र. क्र. 7/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.588 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/2	0.024

(1)	(2)
63/2	0.150
66	0.004
61	0.055
90/1	0.035
62	0.035
63/1	0.035
55, 79/2	0.170
41	0.210
93	0.070
99	0.020
102/1	0.194
108, 112/1 क	0.004
102/2	0.105
102/4	0.364
97	0.006
98	0.004
60/1	0.050
60/3	0.010
90/2	0.025
71	0.004
58/1	0.008
59	0.006
योग 20	1.588

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2 × 250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ पाईपलाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

प्र. क्र. 8/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-डोडकधारी, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.463 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
140	0.223
141	0.121
141/2	0.040
142	0.227
143/1 घ	0.024
143/1 ड	0.243
143/1 ख	0.243
144	0.174
145	0.267
149	0.016
150/3	0.085
156/3	0.040
161/6	0.138
168	0.049
169	0.267
181/2	0.081
146	0.057
154	0.073
150/1	0.251
147	0.283
148	0.194
156/2	0.445
158/2	0.170
161/1	0.222
191/6	0.162
193/3	0.069
155/1	0.036
157/2	0.040
161/2	0.268
160/1	0.263
160/3	0.142
164	0.061
176	0.121

(1)	(2)	(1)	(2)
180	0.012	143/1 ग	0.170
169/1	0.150	184	0.113
168/3	0.016	161/3	0.134
185	0.125	186	0.340
165	0.652	33/1 ख	0.032
166	0.312	156/4	0.146
194	0.870	156/5	0.162
196/2	0.105	156/6	0.049
167	0.283	193/1	0.142
174/1 क	0.882	155/2	0.134
174/1 घ	0.105	157/1	0.036
169/2	0.061	158/1	0.134
175	0.243	159	0.032
170	0.243	161/12	0.125
171/1	0.065	169/5	0.162
172	0.219	160/2	0.138
182	0.073	161/4	0.129
183	0.073	178/3	0.089
173/1	0.369	161/5	0.113
173/2	0.142	161/7	0.065
177	0.243	161/8	0.105
150/2	0.065	150/4	0.101
174/1 ड	0.049	161/9	0.299
187/1	0.178	161/10	0.068
187/2	0.081	163/1	0.134
191/2 क	0.024	161/11	0.295
191/3	0.040	163/2	0.040
143/1 क	0.235	171/2	0.040
188	0.267	171/4	0.274
189	0.097	171/3	0.328
190	0.214	171/5	0.405
191/4	0.016	173/3	0.125
191/1 ख	0.024	178/1	0.251
191/1 ग	0.061	178/2	0.105
192	0.243	191/1 क	0.417
195/1	0.255	191/2 ख	0.121
196/3	0.109	193/2	0.162
174/1 ख	0.061	161/13	0.141
174/2 ग	0.053	161/14	0.053
176	0.656	161/15	0.085
191/5	0.324	193/4	0.101
181/1	0.291	196/1	0.283

(1)	(2)
150/5	0.121
157/3	0.036
157/4	0.081
195/2	0.166
योग 110	20.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2 × 250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 अप्रैल 2005

प्र. क्र. 9/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरबट, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.220 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
77	0.146
220	0.024
215	0.057
216	0.016
221	0.012
258	0.016
259	0.004
301	0.348
78	0.142
260	0.186
300/2	0.024
300/3	0.040
214	0.036
217	0.170
218	0.065
227	0.077
228	0.085
253	0.016
254	0.073
255	0.032
240	0.020
241	0.125
246/1	0.113
300/1	0.275
302/3	0.032
302/1	0.336
314	0.089
318/1	0.304
327	0.032
328/1	0.138
325	0.032
329/3	0.368
213	0.040
224	0.202
307/2	0.032
312/3	0.073
313/3	0.012
316/4	0.085
316/7	0.024
326	0.081
222	0.129
236	0.020
238	0.012
245	0.227
250	0.045
223	0.061
229/2	0.081
230/3	0.032

(1)	(2)
231	0.012
233/3	0.162
229/1	0.028
230/2	0.194
232	0.040
233/2	0.121
249	0.263
257/3	0.150
303	0.267
233/1	0.040
233/4	0.121
234	0.352
257/2	0.210
257/4	0.138
237	0.073
239	0.020
304/1	0.158
316/3	0.154
229/1	0.356
333	0.012
242	0.024
244	0.150
305	0.632
306	0.024
230/1	0.341
256	0.109
257/1	0.138
212	0.154
309	0.081
311	0.020
332	0.450
312/1	0.073
316/1	0.024
313/1	0.016
315	0.543
317	0.129
319	0.178
322	0.129
323/2	0.263
307/1	0.057
307/4	0.053
308/1	0.069
312/2	0.073
313/2	0.016
316/6	0.024
329/2	0.194
323/1	0.765
324	0.020
320/2	0.494
320/1	0.243
211	0.016
226	0.069
225/1	0.040
235	0.186
251	0.223
252	0.073
246/2	0.121
300/4	0.231
318/2	0.300
328/2	0.105
302/2	0.206
304/2	0.206
307/3	0.057
308/2	0.053
312/4	0.073
313/4	0.024
316/5	0.077
316/8	0.024
329/4	0.194
316/2	0.251
310	0.016
321	0.316
247	0.283
248	0.008
225/2	0.122
योग 105	16.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह 2 × 250 ताप मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 1072/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-दन्तेवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम-टेकनार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.02
14	0.07
53	0.25
105	0.13
173	0.04
780	0.05
782	0.25
958	0.26
980	0.07
986	0.10
993	0.12
996	0.08
1117	0.30
1231	0.08
1139	0.23
10	0.12
17	0.40
63	0.05
109	0.16
1137	0.06
783	0.02
846	0.12
983	0.02
981	0.10
994	0.05
995	0.06
1107	0.03
1118	0.18
1236	0.53
1142	0.16
40	0.05
35	0.06
29	0.10
175	0.03
1138	0.07
784	0.15
957	0.10
960	0.18
982	0.12
987	0.07
1002	0.18
1115	0.16
1230	0.05
1244	0.20
1143	0.12
1245	0.28
योग	6.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कारली, भैरमगढ़ एवं आवराभाटा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, दंतेवाड़ा एवं कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2005

क्रमांक 1184/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-बीजापुर

(ग) नगर/ग्राम-कोतापाल, प.ह.नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.854 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/1	0.243
108/2	0.105
112/2	0.203
113/2	0.121
532/2	0.186
529/1	0.182
529/2	0.182
529/3	0.186
510/2	0.093
510/3	0.093
510/4	0.093
508	0.110
506	0.121
505/5	0.138
505/4	0.142
58	0.445
62	0.162
63	0.389
67/2	0.081
66	0.049
65	0.061
69/1	0.121
71	0.101
70	0.151
85/2	0.097
37	0.121
38	0.162
43/137	0.020
41/1	0.348
24/1	0.081
44/1	0.242
योग 31	4.854

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोतापल्ली, जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2005

क्रमांक 1187/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-बीजापुर

(ग) नगर/ग्राम-कोत्तापाल, प.ह.नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.218 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.182
4/2	0.182
4/238	1.004
8/1 ख	0.810
8/2 ख	0.243
52/2	0.854
49/1	2.219
49/3	3.441
47	0.599
49/2	0.745
49/4	0.543
58	0.162
50	0.211
8/1	2.429
51/1	1.781
51/2 क	0.615
57/1	0.105
52/2 ख	0.854
51/2 ख	0.615
57/2	0.105
52/2 क	0.854
54/1	0.405
8/2	0.810
54/2	0.466

(1)	(2)
8/3	1.134
16/1	0.202
103	0.494
104	0.049
3	0.659
87/3	0.405
87/2	0.405
55	0.202
467	0.186
106	0.247
योग 34	24.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोत्तापाल, जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 22 मार्च 2005

क्रमांक 1516 क/भू. अ./अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दंतेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बालूद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.718 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
801	0.141
1056	0.368
1055	0.125
1078	0.020
1080/1	0.291
1083	0.085
1111/3	0.162
1115	0.291
1116	0.133
1134	0.222
1133	0.093
1144	0.230
1137	0.020
1138	0.170
1139	0.200
1238	0.376
763	0.445
786	0.097
788	0.145
705/2	0.080
816	0.024
योग	3.718

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोडरे व्यपवर्तन बालूद हेतु मुख्य/शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर जिला

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-मुंजला, प.ह.नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.984 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25	0.060
30	0.080
55	0.056
54	0.112
60	0.072
58	0.012
65	0.112
64	0.012
67	0.016
69	0.284
86	0.132
85	0.028
84	0.008
योग	0.984

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चपका वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर जिला

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प.ह.नं. 35

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.612 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1312	0.156
1456	0.208
1457	0.080
1458	0.144
1461	0.024
योग	0.612

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चपका वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर जिला

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-नगरनार, प.ह.नं. 51

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
148/3	0.02
148/2	0.06
149/1	0.03
149/3	0.16
162	0.19
योग	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भालुगुडा उदवहन सिंचाई योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नगरनार, प.ह.नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10	0.23
11	0.40
योग	0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भालुगुडा उदवहन सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कस्तुरी, प.ह.नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
304	0.02
303	0.18
302/2	0.03
302/3	0.04
310	0.07
311	0.10
317	0.06
318	0.05

(1)	(2)
322	0.08
339	0.02
323	0.11
324	0.22
245	0.11
326	0.11
325/1	0.04
325/2	0.10
336	0.15
217/1	0.04
337	0.05
338	0.03
248	0.03
239/1	0.13
241/1	0.10
233	0.09
225	0.07
218/1	0.03
218/2	0.04
218/3	0.03
217/2	0.16
योग	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भालुगुडा उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े आमाबाल, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.900 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1684	0.172
1685	0.016
1781	0.176
1809	0.084
1810	0.068
1811	0.020
1823/1	0.056
1824	0.040
1825	0.044
1827/1	0.044
1826/1	0.008
1828	0.048
1830/1	0.048
1830/2	0.020
1750	0.020
1831	0.036
योग	0.900

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत आमाबाल वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चमिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
283	0.114
योग	0.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत सोनारपाल वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/9/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तारागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.225 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
169	0.324
170	0.240
184	0.088
186	0.348
437	0.180
439	0.067
447	0.234
446	0.456
443	0.224
459	0.268
466	0.312
472	0.156
474	0.240
444	0.088
योग	3.225

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत सोनारपाल वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/12/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे आमाबाल, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
537	0.100
555	0.056
552	0.016
553	0.080

(1)	(2)
561	0.056
562	0.024
563	0.076
568	0.044
590	0.048
589	0.048
592, 595	0.096
593	0.010
599	0.100
601	0.108
618	0.022
617	0.036
616	0.244
615/2	0.072
623	0.072
624/1	0.080
624/2	0.068
404	0.172
402	0.044
381/1	0.044
282	0.160
384	0.160
योग	2.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत आमाबाल वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 23 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/11/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर जिला

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-सोनारपाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.889 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.516
17/2	0.180
18	0.216
20/3	0.363
102/1	0.016
103/2	0.138
103/3	0.162
103/4	0.216
140/1, 141/1, 141/2	0.264
141/8	0.124
141/9 क, 141/10	0.084
141/9 ग	0.048
141/11 क	0.136
190/6 क	0.428
190/27 क	0.160
190/36 क	0.061
2/4, 141/7	0.110
215/1	0.304
215/2	0.200
216	0.265
217	0.240
224	0.021
210/5	0.186
190/20	0.222
225/1	0.162
210/1	0.336
219/3	0.353
190/35	0.124
148	0.050
212/1	0.021
211/1 क	0.183
योग	5.889

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत सोनारपाल वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/04-05/10/05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अघनपुर, प. ह. नं. 06 (अ)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-28.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
26/1	3.48
26/4	3.50
91/1/1	0.99
91/1/2	0.99
91/1/3	0.99
91/1, 95/1	4.44
93	2.00
94/1	0.72
94/3	0.72
96	3.40
112/1 ड/1	0.41
112/1 ड/2	0.25
112/1 क, 112/1 ल/टू	0.40
112/1 क, 112/1 ल/टू	1.50
112/1 क, 112/1 ल/टू	0.40
112/1 क, 112/1 ल/टू	1.00
112/1 क, 112/1 ल/टू	0.79
112/1 क, 112/1 ल/टू	0.54
94/2	0.71
112/1 क, 112/1 ल/टू	0.80
योग	28.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आवासीय भवन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2005

क्रमांक 73/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-धोठवानी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74	0.12
73	0.12
90/1	0.06
90/2	0.15
137/2	0.06
120	0.07
1408	0.05
119	0.03
118	0.03
159	0.07
117	0.15
1406	0.10
115/1	0.07
133	0.01
144	0.02
134	0.06
137/1	0.01
131	0.05

(1)	(2)
140	0.10
141	0.04
142	0.02
155	0.02
194/2	0.12
194/3	0.14
169	0.02
170	0.03
176	0.04
1117	0.06
1118/1	0.02
1037/1	0.02
1116/2	0.05
1073	0.15
1387	0.11
1111	0.03
1092/2	0.07
1093	0.01
1084	0.04
1075	0.08
1076	0.05
1056	0.01
1054	0.03
1055	0.01
1049	0.07
194/1	0.12
1035	0.01
1034	0.02
1033/2	0.08
1411	0.12
1032	0.02
1381	0.19
1388	0.14
1395/1	0.05
1407	0.11
1444	0.04
1443	0.05
1496	0.04
1493	0.02
1492	0.12
1380	0.35
1394/3	0.02
1042	0.01
1040	0.13
1037/4	0.03
1036	0.03
153	0.04
1445	0.01
योग	4.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमनेर मोती नाला व्यपवर्तन के शाखा नहर में भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 214/प्र.1//2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.13
10	0.16
16	0.02
18	0.04
62	0.06
85	0.06
87	0.05
140	0.06

(1)	(2)
13	0.43
14	0.07
59	0.15
15	0.05
60	0.10
58	0.16
29	0.13
19	0.68
21	0.16
90	0.49
22	0.40
23	0.07
39	0.09
24	1.38
25	0.08
26	0.02
27	0.03
28, 38	0.11
30	0.20
31/1	0.04
31/2	0.10
35	0.07
54	0.05
55/3	0.05
68	0.17
61	0.43
65	0.28
63	0.34
64	0.12
82	0.89
86/1	0.24
86/2	0.07
86/3	0.08
91	0.49
92	0.31
93	0.07
137	0.19
138	0.17
139	0.19
36	0.07
37	0.32
88/1	0.12
88/2	0.12
67	0.03
86/4	0.08
योग	10.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत पचपेड़ी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 214/प्र.1//2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-धर्मी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
623	0.24
633	0.08
637	0.07
640	0.04
641	0.10
643	0.05
658	0.04
659	0.04
660	0.02
661	0.02
662	0.02

(1)	(2)
663	0.04
योग	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत पचपेड़ी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 214/प्र.1//2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-नाहंदा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46	0.05
65/1	0.16
290	0.10
295	0.18
296	0.07
297	0.14
330/1	0.03
331/1	0.03
330/2	0.03

(1)	(2)
333	0.02
योग	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत नांहदा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 फरवरी 2005

क्रमांक 214/प्र.1//2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-मटिया, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135	0.09
134	0.03
132	0.26
145	0.01
153	0.01
154/1	0.10
118	0.08
51	0.02
119	0.04
120/2	0.04

(1)	(2)
121	0.02
113	0.02
120/3	0.06
42/1	0.13
120/1	0.06
42/2	0.06
43	0.06
47	0.07
48	0.02
50	0.02
61	0.10
62	0.07
63	0.01
67	0.08
66	0.05
68	0.12
290	0.06
289	0.08
288/1- 2	0.02
288/7	0.06
288/4	0.02
287/1	0.02
287/2	0.06
287/3	0.06
286/2	0.01
286/1	0.03
279/1	0.19
255	0.02
256	0.04
257	0.04
योग	2.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अंतर्गत जोगनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 434/प्र-1//भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-भाठाकोकड़ी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
282/1	0.08
291/2	0.03
289	0.02
297	0.04
296	0.01
299	0.05
302	0.04
305	0.03
304	0.04
315/1	0.02
477	0.06
479/1	0.05
479/3	0.04
432	0.04
288	0.04
301	0.03
295	0.01
433	0.04
290	0.01
300	0.03
291/1	0.04
310	0.06
303	0.03

(1)	(2)
306	0.06
319	0.08
478	0.05
479/2	0.04
481	0.08
योग	1.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमनेर मोती नाला व्यपवर्तन के नहर नाली के लिये अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 437/प्र-1//भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-घोठा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/2	0.06
25	0.04
30	0.08
35	0.01
31	0.03
48/2	0.02
52	0.10
24	0.05
22	0.04
48/1	0.06
26	0.01
34	0.28
27	0.08
33	0.14
32	0.03
49	0.04
57/2	0.03
57/1	0.01
योग	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमनेर मोती नाला व्यपवर्तन के नहर नाली के लिये अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मार्च 2005

क्रमांक 440/प्र-1//भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-राजपुर, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
775	0.04

(1)	(2)
896	0.08
945/2	0.01
921/1	0.02
945/5	0.02
917/1	0.03
912	0.08
827/4	0.20
428/4	0.12
782/3	0.03
925	0.01
945/6	0.02
921/3	0.05
961/2	0.02
917/2	0.04
913	0.12
451/1	1.28
920/1	0.02
894	0.10
922	0.08
924	0.06
944	0.11
946	0.14
915	0.16
914	0.01
427/1	0.20
916/3	0.02
895	0.12
926/4	0.01
923	0.08
945/4	0.02
928	0.01
824	0.02
825	0.42
428/6	0.10
429/1	0.42
योग	4.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राजपुर जलाशय के नहर नाली के लिये अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 15 मार्च 2005

क्रमांक/542/भू-अर्जन/अ.वि.अ./21-अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-खुर्सीपार, प. ह. नं. 40
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
428, 429, 462	0.47
योग 1	0.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सिरको जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 मार्च 2005

क्रमांक/543/भू-अर्जन/अ.वि.अ./53-अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-बिराजपाली, प. ह. नं. 120/67
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48	0.05
561	0.08
560	0.09
559	0.15
556	0.15
539 टु.	0.05
548 टु.	0.05
554	0.10
45	0.16
547	0.06
209 टु.	0.02
39	0.06
40	0.14
46	0.08
68	0.04
49	0.11
47	0.03
52	0.08
53	0.12
71	0.10
70	0.06
102	0.10
101	0.12
156	0.06
106	0.03
318	0.06
117	0.12
118	0.02
119	0.06
105	0.10
122	0.08
123	0.06
164	0.19
160 टु.	0.08
160 टु.	0.08
563	0.10
158	0.18
154	0.09
155	0.10
213	0.03
151	0.05
149	0.02
190	0.06
191	0.10
319	0.04
317	0.04
210	0.08
212	0.04
222	0.10
211 टु.	0.06
211 टु.	0.06
540	0.06
541	0.08
116	0.12
539 टु.	0.08
539 टु.	0.06
51	0.04
50	0.04
योग 58	4.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चमरा नाला जलाशय के अंतर्गत नहर नाली का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 मार्च 2005

क्रमांक/544/भू-अर्जन/अ.वि.अ./17-अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-झिटकी, प. ह. नं. 112/59

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.56 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
601	0.02
602	0.05
600	0.08
627	0.01
962	0.09
604	0.16
964	0.02
603	0.12
963	0.04
944	0.03
628	0.14
626	0.01
616	0.02
618	0.05
615	0.03
619	0.06
620/2	0.03
620/1	0.02
617	0.01
621	0.02
968	0.08
967	0.07
971	0.03
614	0.01
989	0.01
610	0.24
654	0.06
685	0.01
1078	0.04
965	0.10
652	0.17
679	0.05
686	0.10
1076	0.04
653	0.05
680	0.16
687	0.04
651	0.28
681	0.12
688	0.05
961	0.02
1079	0.05
983	0.01
990	0.38
972	0.11
970	0.10
991	0.10
939	0.20
946	0.20
880	0.01
879	0.03
949	0.40
878	0.19
1075	0.04
योग 54	4.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपर-जोंक परियोजना के माइनर क्र. 5 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक/568/भू-अर्जन/अ.वि.अ./52-अ/82 सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-मालीडीह, प. ह. नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2 टु.	0.62
2/11 टु.	0.17
2/10 टु.	0.16
योग	0.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोडार परियोजना के अंतर्गत मालीडीह माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6346/दो-2-63/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर को दिनांक 20-11-2002 से दिनांक 23-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19-11-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 24-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. श्रीवास्तव को रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6525/दो-14-45/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 4-7-2001 से दिनांक 5-7-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. एस. नायर को डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. एस. नायर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6527/दो-14-45/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 27-9-2001 से दिनांक 1-10-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. एस. नायर को डिप्टी रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. एस. नायर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6529/दो-14-45/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 18-12-2001 से दिनांक 31-12-2001 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 14 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16-12-2001 व 17-12-2001 एवं पश्चात् में दिनांक1-1-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. एस. नायर को डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. एस. नायर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6531/दो-14-25/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 13-5-2002 से दिनांक 7-6-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 26 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11-5-2002 व 12-5-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 8-6-2002 व 9-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. एस. नायर को डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. एस. नायर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6533/दो-14-45/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 16-8-2002 से दिनांक 23-8-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15-8-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 24-8-2002 व 25-8-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. एस. नायर को डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. एस. नायर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4510/दो-2-34/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. सी. यदु, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 28-10-2003 से दिनांक 31-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25, 26 एवं 27-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री टी. सी. यदु को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. सी. यदु उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+11 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4508/दो-2-36/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अत्या. निवा.) अधिनियम दुर्ग को दिनांक 20-10-2003 से दिनांक 24-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19-10-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 25-10-2003 एवं 26-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+4 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4506/दो-2-36/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 16-10-2003 से दिनांक 19-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4572/तीन-6-8/2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री एस. एल. चक्रधारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर जिला सरगुजा को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

No. 4572/III-6-8/2003.— In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri S. L. Chakradhari, Judicial Magistrate First Class, Ambikapur, District Surguja to try in a summary way all or any of the offences specified in the said section.

बिलासपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2003

क्रमांक 4751/दो-2-40/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुवीर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर को दिनांक 20-10-2003 से दिनांक 24-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19-10-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 25-10-2003 से 27-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुवीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 239 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2003

क्रमांक 5030/दो-2-32/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा, को दिनांक 24-11-2003 से दिनांक 29-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23-11-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 30-11-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 213 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2003

क्रमांक 5032/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. एक्ट) राजनांदगांव को दिनांक 27-11-2003 से दिनांक 29-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26-11-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 30-11-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो वे अपने पद पर कार्यरत रहतीं.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 16 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2003

क्रमांक 5028/दो-2-32/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जे. के. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को दिनांक 13-10-2003 से दिनांक 18-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12-10-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 19-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. एस. राजपूत को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. एस. राजपूत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 219 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5286/दो-2-36/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) दुर्ग को दिनांक 18-11-2003 से दिनांक 19-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 238 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5288/दो-2-26/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एस. शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) बस्तर स्थान जगदलपुर को दिनांक 3-11-2003 से दिनांक 7-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2-11-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 8-11-2003 एवं 9-11-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 232+10 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5634/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 10-11-2003 से दिनांक 15-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16-11-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 219 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5636/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 13-10-2003 से दिनांक 15-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11-10-2003 एवं 12-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 225 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5638/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 5-9-2003 से दिनांक 10-9-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 228 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5640/दो-2-40/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुवीर सिंह, विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज, अंबिकापुर को दिनांक 2-9-2003 से दिनांक 12-9-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 11 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13-9-2003 एवं 14-9-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुवीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+4 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5642/दो-2-19/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री जी. सी. बाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 11-8-2003 से दिनांक 16-8-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9-8-2003 एवं 10-8-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 17-8-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. सी. बाजपेयी को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. सी. बाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+9 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5645/दो-2-28/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रंगनाथ चन्द्राकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 26-12-2003 से दिनांक 30-12-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25-12-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रंगनाथ चन्द्राकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रंगनाथ चन्द्राकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 235 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5647/दो-2-20/2003.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री बी. आर. निकुंज, विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. एक्ट) बिलासपुर को दिनांक 26-12-2003 से दिनांक 01-01-2004 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25-12-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. निकुंज को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. निकुंज उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 190 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5649/दो-2-20/2003.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री बी. आर. निकुंज, विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. एक्ट) बिलासपुर को दिनांक 20-10-2003 से दिनांक 24-10-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25-10-2003 एवं 26-10-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. निकुंज को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. निकुंज उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 197 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5651/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. भट्ट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 2-12-2003 से दिनांक 5-12-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. भट्ट को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+11 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5653/दो-2-27/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. भट्ट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा को दिनांक 19-11-2003 से दिनांक 20-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. भट्ट को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 320 दिवस का अर्ध वेतन अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2003

क्रमांक 5655/दो-2-22/2003.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती निर्मला सिंह, विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. एक्ट) अंबिकापुर को दिनांक 04-12-2003 से दिनांक 12-12-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13-12-2003 एवं 14-12-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निर्मला सिंह को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निर्मला सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो वे अपने पद पर कार्यरत रहतीं.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 4 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

Bilaspur, the 8th December 2003

No. 395/II-15-66/2001/Confdl./2003.— In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Shri Binay Kumar Shrivastava, Member of Higher Judicial Service presently posted as Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, as the Director of Judicial Officers Training Institute on the establishment of the High Court in addition to his present post of Registrar General form the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 12th December 2003

No. 398/II-2-90/2001/Confdl./2003.— In exercise of the powers conferred by Article 229 (2) of the Constitution of India and Rule 20 of the Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003 framed thereunder, the Hon' ble the Chief Justice has been pleased to grant extension beyond the age of 60 years and up to 31-12-2005 to Shri Binaya Kumar Shrivastava, the Registrar General and the Director of Judicial Officers Training Institute on the establishment of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
T. K. JHA, Registrar (Vigilance).